

**न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी**  
**(समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 594 / 2008**  
**संस्थित दिनांक 31.12.2008**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
अंजड, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश ।

— **अभियोगी**

**वि रू द्ध**

रामगोपाल पिता लक्ष्मण यादव,  
उम्र 42 वर्ष, निवासी नवलपुर,  
बड़वानी थाना बड़वानी, जिला बड़वानी

— **अभियुक्त**

---

<b>अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी</b>
<b>अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री एम.एस. सोलंकी</b>

---

—: **नि र्ण य** :—

**(आज दिनांक 08-11-2016 को घोषित)**

1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 187 / 2008 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 05.12.2008 को सुबह लगभग 10:30 बजे चकरी के आगे छापरी फाटे के पास, लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी-09-एम.एफ. 2853 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर प्यारसिंह, ऐडू तथा ऐरांग का जीवन संकटापन्न करने और उसी समय आहत प्यारसिंह को टक्कर मारकर उपहतियां कारित करने तथा उसी समय आहत ऐडू एवं ऐरांग को टक्कर मारकर घोर उपहतियां कारित करने के आधार पर, भादवि की धारा 279, 337, 338 का अभियोग है।

2— प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी स्वीकृत तथ्य हैं।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2008 को सुबह लगभग 10:30 बजे प्यारसिंह अपनी मोटरसाईकिल पेसन प्लस से ऐडू व ऐरांग के साथ अंजड से कुंदामाल जा रहे थे, तभी छापरी फाटा के पास रोड पर मंडवाडा तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक द्वारा उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिससे उसे दाहिने हाथ, कमर व पेट में चोटे आई तथा ऐडू को दाहिने पैर में चोट आकर पैर जॉघ के पास से टूट गया तथा ऐरांग को दाहिने पैर में चोटे आई तथा बाया हाथ फ्रेक्चर हो गया उन्हें ईलाज के लिये भेजा गया जॉघ के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर घटना स्थल से मोटरसाईकिल जप्त की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वाहन की मेकेनिक जॉच करवाकर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

4- उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी (श्री महेश कुमार सेनी) द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

5- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 05.12.2008 को सुबह लगभग 10:30 बजे चक्रेरी के आगे छापरी फाटे के पास लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी-09-एम.एफ/2853 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर प्यारसिंह, ऐडू एवं ऐरांग का जीवन संकटापन्न किया ?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उसी प्रकार चलाकर प्यारसिंह को उपहति कारित कीं ?
(iii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उसी प्रकार चलाकर ऐडू, ऐरांग को घोर उपहतियां कारित कीं ?

**- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-(i), (ii) व (iii) पर सकारण निष्कर्ष -**

6- उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

7- उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी प्यारसिंह (अ.सा.-1) का कथन है कि वह लगभग 10 महीने पहले उसके साथ गांव के 8-10 लोग अंजड़ थाने पर कैलाश के मर्डर के सिलसिले में आये थे, जब वे पुलिस कार्यवाही के बाद वापिस गये और छापरी फाटे के पास खड़े होकर बात कर रहे थे तब ठीकरी तरफ से एक मोटरसाईकिल वाला मोटरसाईकिल बहुत स्पीड में 70-80 की स्पीड से चलाता हुआ लाया तथा ऐडू, ऐरांग तथा प्यारसिंह की मोटरसाईकिल से टक्कर मार दी जिससे उन्हें चोटें आई, उसके दाहिने हाथ में कलाई के उपर और पंजे पर बाहरी तरफ और कमर पर चोट आयी, ऐडू को दाहिने पांव में और कमर में चोट आयी तथा ऐरांग को भी एक हाथ में चोट आयी तथा फ्रेक्चर हो गया और पैर की उंगली में भी चोट आयी थी और फ्रेक्चर हुआ था, मोटरसाईकिल वाला भी वही पर गिर गया था तथा उसे भी चोट लगी थी। लेकिन इस साक्षी ने आरोपी को पहचानना स्वीकार किया है, बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी को उसने नहीं देखा था और किस वाहन ने उसे टक्कर मारी उसे इसकी जानकारी नहीं है।

8- ऐडू (अ.सा.-2) एवं ऐरांग (अ.सा.-3) ने भी छापरी फाटे के पास अभियुक्त द्वारा उसकी मोटरसाईकिल से उन्हें टक्कर मारने के संबंध में कथन किया है।

उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि दुर्घटना में उनको हाथ, पैर में चोटें आई थी। दोनों साक्षियों ने अपने पैर में फ्रेक्चर होना भी बताया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐडू (अ.सा.-2) ने यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त को दुर्घटना के पहले से नहीं जानता है, उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर नहीं मालूम है, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। साक्षी ने इस सूझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना के समय वह शराब पीया हुआ था अथवा एक वाहन में 3 व्यक्ति बैठे हुये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके वाहन और आरोपी के वाहन टकराई जिसमें आरोपी को पैर में भी फ्रेक्चर हो गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि आरोपी प्रतिकर राशि अदा कर दे देता है तो वह समझौता कर लेगा। साक्षी ने पुलिस को कथन देने से इंकार किया है।

9— ऐरांग (अ.सा.-3) ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह आरोपी को घटना के पहले से नहीं जानता है, लेकिन स्पष्ट किया है कि घटना वाले दिन उसे देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना वाले दिन उनकी मोटरसाईकिल खड़ी थी, उसे कोई चला रही रहा था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह तीनों खड़े होकर बात कर रहे थे तभी अभियुक्त ने उन्हें टक्कर मारी थी। साक्षी ने इस सूझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि वह शराब पीकर गिर गया था जिससे उसे चोट लगी अथवा उसकी मोटरसाईकिल की टक्कर से अभियुक्त को चोट लगी थी। साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त ने पैसे नहीं दिये इसलिये असत्य कथन कर रहा है।

10— डॉ. जे.पी. पण्डित (अ.सा.-4) का कथन है कि दिनांक 05.12.2008 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में मोटरसाईकिल दुर्घटना में घायल ऐरांग पिता हरसिंग, आयु 55 वर्ष, ऐडू पिता गुंगा, आयु 55 वर्ष का मेडिकल परीक्षण करने और उन्हें प्रदर्श पी 1 और प्रदर्श पी 2 में दर्शित चोटें होना बताया है तथा ऐरांग को एक्सरे परीक्षण करने पर बांये हाथ की तीन उंगलियों में और ऐडू को एक्सरे परीक्षण करने पर दाहिने जांघ की हड्डी में फ्रेक्चर होना तथा एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 और प्रदर्श पी 4 प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहतगण को आई चोटें स्वयं के द्वारा मोटरसाईकिल से गिरने से भी आना संभव है, लेकिन किसी भी आहत साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सूझाव नहीं दिया गया है कि उन्हें आई उक्त चोटें स्वयं के द्वारा गिरने से आई है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक साक्षी उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11— बालाचंद (अ.सा.-5) एवं गजानन्द उर्फ गजेन्द्र (अ.सा.-6) को अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया है, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के सम्पूर्ण सूझाओं से इंकार किया है, सम्भवतः उक्त दोनों साक्षीगण घटना पुरानी होने के कारण भूल जाने से अथवा जानबुझकर अभियुक्त के पक्ष में कथन कर रहे हैं।

12— के.एल. वरखडे (अ.सा.-5) का कथन है कि दिनांक 07.12.2008 को दुर्घटना में घायल ऐरांग, ऐडू व प्यारसिंह की प्री.एम.एल.सी. जाँच हेतु प्राप्त हुई थी, जाँच के दौरान साक्षीगण ने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09.एम.एल. 2853 के चालक रामगोपाल पिता लक्ष्मण द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही पूर्व से

चलाकर प्यारसिंग की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिसमें प्यारसिंग, ऐडू, ऐरांग को चोटे आकर अस्थिभंग होना बताया था, जिसके आधार पर उसने अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 07.12.2008 को अपराध क्रमांक 187/08 असल कायमी प्रदर्श पी 7 की किया जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी गजेन्द्र के बताये अनुसार नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 का बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने घटना स्थल से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09-एम.एफ. 2853 को प्रदर्श पी 9 के अनुसार जप्त किया, उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अभियुक्त से उक्त वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09-एम.एफ. 2853 का पंजीयन प्रमाण पत्र जप्त किया था, साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत ऐडू, प्यारसिंग, ऐरांग के जॉच कथन प्रदर्श 1, प्रदर्श पी 2 एवं प्रदर्श पी 3 में इस बाबद की साक्षीगण कथन करने योग्य हैं, कोई टीप नहीं लगाई। साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि साक्षीगण ने अपने कथनों में अभियुक्त का नाम नहीं बताया अथवा मोटरसाईकिल का नम्बर भी नहीं बताया है, लेकिन साक्षी ने प्री.एम.एल.सी. जॉच में साक्षियों द्वारा अभियुक्त का नाम और मोटरसाईकिल नम्बर नहीं बताने के संबंध में स्वीकारोक्ति की है। साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि बालराम, गजेन्द्र ने उसे कथन नहीं दिया अथवा असत्य कथन कर रहा है।

13- महेन्द्र सिंह (अ.सा.-6) का कथन है कि ग्राम चकेरी में उसके दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों को सुधारने करने का गेरेज है, दिनांक 24.12.2008 को उसने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09-एम.एफ. 2853 की मेकेनिकल जॉच की थी और उसके सभी पार्ट्स चालू अवस्था में पाये थे। साक्षी ने उसका जॉच प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12 को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस मोटरसाईकिल का उसने परीक्षण किया था उसमें कोई टुट-फुट नहीं नहीं थी।

14- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्यारसिंग (अ.सा.-1) ने अपने कथन के दौरान अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है तथा उसके स्वतंत्र साक्षी बालराम (अ.सा.-5), गजेन्द्र (अ.सा.-6) ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का कथानक शंकास्पद हो जाता है।

15- यह सही है कि प्यारसिंग (अ.सा.-1) ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है, लेकिन आहत ऐडू (अ.सा.-2), ऐरांग (अ.सा.-3) अभियुक्त द्वारा उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाकर उन्हें टक्कर मारने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं तथा उक्त दुर्घटना में उन्हें अस्थिभंग की चोटें आना भी बताया है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं हुआ है। इस घटना के पश्चात डॉ. जे.पी. पण्डित (अ.सा.-1) (अ.सा.-4) के द्वारा आहत साक्षियों का मेडिकल परीक्षण किया गया और उक्त दोनों ही साक्षियों को अस्थिभंग की चोटे होना पाया है तथा जॉच के उपरांत के.ए. वरकडे (अ.सा.-5) ने अभियुक्त के विरुद्ध आहत साक्षियों के कथनों के आधार पर उक्त अपराध प्रदर्श पी 7 दर्ज किया है तथा अपराध की विवेचना की जिसका भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। ऐरांग (अ.सा.-3) का कथन है कि अभियुक्त मोटरसाईकिल को एकदम से चलाकर लाया था, साक्षी के उक्त कथन में अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से मोटरसाईकिल

चलाना प्रकट होता है, जिसका भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। जहां तक बालाराम (अ.सा.-5), गजेन्द्र (अ.सा.-6) पक्षविरोधी होने का प्रश्न है वहां किसी भी घटना को साबित करने के लिये स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना की पुष्टि प्रत्येक मामले में आवश्यक नहीं होती है। यदि आहत साक्षियों के कथन पूर्णतः विश्वसनीय है तो उसके आधार पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है।

16— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 05.12.2008 को सुबह लगभग 10:30 बजे लोक मार्ग पर चक्रेरी के आगे छापरी फाटे के पास मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09—एम.एल. 2853 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर प्यारसिंह, ऐडू एवं ऐरांग का जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त मोटरसाईकिल की टक्कर प्यारसिंह को मार उसे उपहति तथा ऐडू एवं ऐरांग को घोर उपहतियां कारित की जो भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं 338 का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

17— अतः यह न्यायालय अभियुक्त रामगोपाल पिता लक्ष्मण आयु 42 वर्ष, निवासी नवलपुरा बड़वानी को भा.द.वि. की धारा 279,337,338 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। समाज में बढ़ रही इस तरह की दुर्घटना एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं है। अतः सजा के प्रश्न पर विचार किया गया।

18— अभियुक्त के अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियुक्त लम्बे समय से विचारण का समना कर रहा है तथा इस दुर्घटना में उसे भी चोटें आई हैं और वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया है। अतः सहानुभूति पूर्ण विचारण किया जाये।

19— यह सही है कि अभियुक्त को भी इस दुर्घटना में चोटें आना बताया गया है तथा आहत साक्षी ऐरांग (अ.सा.-3) ने भी अभियुक्त को इस दुर्घटना में चोटें आना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की आयु, उसके विकलांगता तथा प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्त को कारावास से दंडित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त रामगोपाल पिता लक्ष्मण आयु 50 वर्ष, निवासी नवलपुरा बड़वानी को भारतीय दंड संहिता की धारा 337 में दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा रुपये 300 के अर्थदंड से दंडित करता है, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 7 दिन का सादा कारावास पृथक से भुगताया जाये तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 338 में अभियुक्त को (दो बार) दोषी ठहराते हुए रुपये 800—800/— अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास (दो बार) से दंडित करता है, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 15—15 दिन का सादा कारावास पृथक से भुगताया जाये। अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर उसमें से रुपये 300/— दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (1) के अनुसार आहत प्यारसिंह को तथा ऐडू एवं ऐरांग को रुपये 500—500 प्रदान किया जाये।

20— चूंकि भा.द.वि. की धारा 279 का अपराध भा.द.वि. 337, 338 में समाहित है इसलिये भा.द.वि. की धारा 279 में पृथक से दंडित नहीं किया जा रहा है।

21— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

22— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.09 एम.एफ. 2853 एवं उसका पंजीयन प्रमाण पत्र सुपुर्दगी पर है, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार लौटाई जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

23— उपस्थित अभियुक्त की अभिरक्षा में रहने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

